हाइब्रिड कारों पर कोई रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों **पर रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ** करने का निर्णय किया है। यह निर्णय ग्रीन वाहनों के लिये एक महत्त्वपूर्ण **बढ़ावा** है।

मुख्य बिंदु

- इस कदम से मुख्य रूप से **मारुति सुज़ुकी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और होंडा कार्स इंडिया** जैसी कार निर्माता कंपनियों को लाभ होगा। ग्राहक 3.5 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश में **10 लाख रुपए से कम मूल्य के वाहनों पर 8% रोड टैक्स तथा 10 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से अधिक मूल्य के वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगाया जाता है।**
    - हाइब्रिड वाहनों की कम बिक्री के कारण सड़क कर माफी से राज्य के राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।
- स्वामित्व में आसानी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की तरह समर्पित चार्जिंग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता नहीं, पेट्रोल कारों की तुलना में बेहतर माइलेज और **कम अधिग्रहण लागत** जैसे कारकों के कारण **हाइब्रिड वाहनों की बिक्री में तेज़ी आ रही है।**
    - वर्ष 2023 में राज्य ने **इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये तीन वर्ष की टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क छूट** की घोषणा की, जबकि राज्य के भीतर निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये पाँच वर्ष की छूट दी जाएगी।

हाइब्रिड वाहन

- हाइब्रिड वाहन **पारंपरिक** आंतरिक दहन इंजन (Internal Combustion Engine- ICE) को **इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के साथ** जोड़ते हैं, जिससे वाहन को एक या दोनों ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके संचालित करने की अनुमति मिलती है।
- हाइब्रिड प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सबसे आम हैं **समानांतर हाइब्रिड** (इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों ही वाहन को स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान कर सकते हैं) तथा **शृंखला हाइब्रिड** (केवल इलेक्ट्रिक मोटर पहियों को चलाती है, जबकि इंजन विद्युत उत्पन्न करता है)।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/no-registration-tax-on-hybrid-cars